[illegible]

[illegible]

2024/223

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] [illegible] | [illegible] | [illegible] | 10/6/24 | 6/6/24 |

अनवान

श्री विष्णु कान्ता पत्नि टीकमचन्द जांगिड श्री कन्हैयालाल पुत्र गोपी अहीर

निवासी सलावटिया निवासी आडोली नगरह (02)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री मुकेश कुमार धाकड श्री ........................

## FORM NO III

23/05/2024 — ... रजिस्टर किया जाकर ... हों। पत्रावली वास्ते तलबी / ... 04/06/2024 ... हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

6/6/24 — पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 10/6/24 को वास्ते उ. आदेश पेश हो।

तामील प्राप्त।

उप खण्ड अधिकारी

10/6/24 — पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बाद तामील अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में आदेश पारित किए गए एवं तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5. [illegible] भीलवाड़ा (राज.)
6. केसर पत्नि जीवणलाल जाति अहीर [illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

[illegible]

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128** रा0लै0रे0एक्ट

**–: आदेश :–**

दिनांक 10/6/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम झाडोली पटवार हल्का** सलावटिया **तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 304 पर अंकित आराजी संख्या 433 कुल किता 1 रकबा 0.5827 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम झाडोली पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 304 पर अंकित आराजी संख्या 433 कुल किता 1 रकबा 0.5827 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
**बिजौलियाँ**

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या 168/24 दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि –

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 168 2024 पत्थरगढ़ी बाबत

विष्णु कान्ता पत्नि टीकम चन्द जाति आंजना उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थिया

**बनाम**

7. कन्हैयालाल पुत्र गोपी जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. केसर पत्नि जीवणलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम झाडोली पटवार हल्का** सलावटिया तहसील **बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 304 पर अंकित आराजी संख्या 433 कुल किता 1 रकबा 0.5827 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)